



# CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor, Chanderlok Building, 36  
Janpath, New Delhi-110001, Phone: 23353503,  
Fax : 23753923, Website : www.cercind.gov.in



सत्यमेव जयते

Petition No. 114/TL/2024

Dated: 30.4.2024

## NOTICE UNDER CLAUSE (a) OF SUB-SECTION (5) OF SECTION 15 OF THE ELECTRICITY ACT, 2003

An application under Sections 14 and 15 of the Electricity Act, 2003 (the Act) has been made by Sikar Khetri Transmission Limited, (A 100% wholly owned subsidiary of Power Grid Corporation of India Limited), B-9, Qutab Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi-110 016, to establish the Inter-State transmission system for "Transmission system for evacuation of power from REZ in Rajasthan (20GW) under Phase-III Part D – Phase I" on a Build, Own, Operate and Transfer basis (hereinafter referred to as "the Project") consisting of the following elements:

S. No.	Name of the Transmission Element	Scheduled COD in months from Effective Date
1.	Sikar-II – Khetri 765 kV D/c line	18
2.	Sikar-II - Narela 765 kV D/c line along with 240 MVar Switchable line reactor for each circuit at each end of Sikar-II - Narela 765kV D/c line Switching equipment for 765 kV 240 MVAR switchable line reactor - 4 nos. 240 MVar, 765kV Switchable line reactor - 4 nos.	
3.	765kV line bays at Sikar -II for Sikar-II – Khetri 765 kV D/c line and Sikar-II - Narela 765 kV D/c line 765 kV line bays- 4 nos	
4.	2 nos. of 765 kV line bays at both Khetri and Narela S/s 765 kV line bays – 4 nos	

### Note:

- (i) Developer of Sikar-II S/s to provide space for 4 nos. of 765 kV line bays at Sikar-II S/s along with space for two nos. of switchable line reactors.
  - (ii) Developer of Narela S/s to provide space for 2 nos. of 765 kV line bays along with space for switchable line reactors at Narela S/s.
  - (iii) Power Grid to provide space for two nos. of 765 kV line bays at Khetri substation.
2. The Central Transmission Utility of India Limited vide its letter dated 19.3.2024 has recommended for the grant of a transmission licence to the applicant to establish the proposed transmission system.
  3. Based on the material available on the record, the Commission vide order dated 29.4.2024 in Petition No. 114/TL/2024, has proposed to issue a transmission licence to the applicant for establishment of the transmission scheme as noted in para 1 above.
  4. A copy of the application, along with its annexures and enclosures, made by the applicant for the grant of an inter-State transmission licence to Sikar Khetri Transmission Limited before the Commission can be accessed at the website [www.powergrid.in/subsidiaries](http://www.powergrid.in/subsidiaries) or inspected by any person in the Commission's office by following the laid down procedure.
  5. Notice is hereby given in pursuance of clause (a) of sub-section (5) of Section 15 of the Act that suggestions or objections, if any, to the Commission's proposal to grant a transmission licence to the applicant, as aforesaid, be sent to the undersigned by **17.5.2024** at the above noted address. The suggestions or objections received after the specified date shall not be considered.
  6. The application shall be taken up for the further hearing by the Commission on **22.5.2024**. Any person who files suggestions or objections may in his/her discretion attend the hearing, for which no TA/DA shall be paid by the Commission.

**Sd/-**  
**(Harpreet Singh Pruthi)**  
**Secretary**

सम-किरी परगना व तहसील खुर्जा को लगभग 32.775 हेक्टेयर भूमि  
योगिक परियोजना को खुर्जा महायोजना-2031 (प्रारूप) में समायोजित/  
गया है। संशोधित खुर्जा महायोजना-2031 (प्रारूप) में समायोजित/  
ग पर विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस तक जन सामान्य से  
प्राप्त किये जाते हैं। बुलन्दशहर एवं खुर्जा विकासक्षेत्र के समस्त जन  
विभाग/अर्धसरकारी विभाग/गैर सरकारी विभाग/स्थानीय निकायों  
जाता है कि उक्त अवधि में खुर्जा महायोजना संशोधित प्रारूप-2031 के  
नायोजित/सम्मिलित भाग पर अपने बहुमूल्य सुझाव/आपत्ति संचिव,  
धेकरण को (दो प्रतियों में) प्रत्येक कार्य दिवस में पूर्वान्ह 11.00 बजे से  
उपलब्ध करा सकते हैं। निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त सुझावों/  
आर नहीं किया जायेगा। निर्धारित अवधि में प्राप्त सुझाव/आपत्तियों की  
समिति द्वारा की जायेगी तथा इसके उपरान्त खुर्जा महायोजना-2031  
देया जायेगा।

उपाध्यक्ष

**परिशिष्ट IV-A**

**अचल संपत्ति की बिक्री के लिए बिक्री सूचना**

(एफोसमिन्ट) रुमन, 2002 के नियम 8(6) और नियम 9(1) के नियमों को पढ़ते हुए  
एंड रिक्स्टवशन ऑफ फायनांशियल एसेट्स एंड एफोसमिन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटरस्ट  
मिन अचल संपत्ति की बिक्री के लिए ई- नीलामी बिक्री सूचना।

नता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं) तथा गैरन्टर (ओं) को सूचित किया  
नवर्णित अचल संपत्ति जो सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी है, जिस पर  
अधिकृत अधिकारी इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड [CIN:  
PLC136029] ("सुरक्षित लेनदार द्वारा") द्वारा रचनात्मक कब्जा लिया जा चुका  
हो शाम 04.00 बजे से 05.00 बजे तक "जहाँ है", "जैसा है", और "जो कुछ भी  
लिए ऋण खाता नं. HHLRHM00287931 के लिए रु. 22,14,128/- (रुपए बाईस  
एक सौ अड़्यास मात्र) के लिए 26.04.2024 तक बकाया मूलधन, बकाया (विलंब  
गैर ब्याज ऋण समझौते तथा अन्य सम्बन्धित ऋण दस्तावेजों के संदर्भ में लागू भावी  
व्यय और अन्य खर्चों के साथ 27.04.2024 से प्रभावी जो ऋतुवार सिंह और सुमन  
लेनदार द्वारा बकाया है की वस्तु की के लिए बेचा जाएगा।

नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य रु. 23,60,000/- (रुपए तेईस लाख साठ हजार मात्र)  
मनी डिपॉजिट ("ईएमडी") रु. 2,36,000/- (रुपए दो लाख छत्तीस हजार मात्र)  
के 10% के बराबर होगा।

**अचल संपत्ति का वर्णन**

3/14, क्षेत्रफल 86.04 वर्ग मीटर, पहली मंजिल पर, सपना-टाइप-02, मंडोला  
स्थित, सेक्टर-05, सहारनपुर रोड, गाजियाबाद - 201102, उत्तर प्रदेश।

रेस्तुत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट यानी  
ndiabullshomeloans.com देखें; संपर्क का नंबर: 0124-6910910,  
065451024; ई-मेल आईडी: auctionhelpline@indiabulls.com।  
बोली लगाने के लिए www.auctionfocus.in पर लॉग ऑन करें

सही/-

प्रधिकृत अधिकारी  
इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

**मेटेड**

टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं



योजना नंबर 3, आई.एस. 190 शास्त्री नगर, मेरठ - 250002, (उ.प्र.)

**परिशिष्ट 4 (अचल संपत्ति हेतु)**

अधिकृत अधिकारी के तौर पर सिक्युरिटी इंजेक्शन एंड रिक्स्टवशन ऑफ  
एस्ट एक्ट 2002 एवं सिक्युरिटी इंस्ट्रुमेंट (इंफोसमिन्ट) नियम 2002 का  
शक्तियों को उपयोग करते हुए कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त  
पुनर्भुगतान करने के लिए ऋणकर्ताओं/ प्रतिभूतिकर्ताओं को मांग सूचना  
साफल रहे है, सिक्युरिटी इंफोसमिन्ट नियम 2002 के नियम 8 के साथ  
के अंतर्गत के साथ प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ऋणकर्ता(ओं)/  
सूचित किया जाता है वर्णित संपत्ति पर अधोहस्ताक्षरकर्ता ने अधिग्रहण कर  
लेए उपलब्ध समय सीमा पर कानून की धारा 13 का सब सेक्शन (8) के  
में एवं सामान्य जनो को सार्वजनिक रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि  
प्रवहार नीचे वर्णित राशि के साथ शेष देय ब्याज के लिए AHFL के शुल्क

संपत्ति विवरण (अचल संपत्ति)	मांग सूचना का दिनांक एवं राशि	आधिपत्य की दिनांक
शेष एवं सम्पूर्ण भाग, प्रॉपर्टी प्लॉट नंबर 174 ग्राम अलीपुरा जिलामाना उत्तर प्रदेश, 250001	11-04-2023 ₹ 15,12,500/-	02-05-2024

प्रधिकृत अधिकारी  
आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

दिनांक : 26.04.2024  
स्थान : गाजियाबाद

सह/-  
प्रधिकृत अधिकारी  
इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

**केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग**  
तृतीय एवं चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36, जनपथ,  
नई दिल्ली-110001, फोन: 23353503, फैक्स: 23753923  
वेबसाइट: www.cercind.gov.in

याचिका सं.114/टीएल/2024 दिनांक: 30.04.2024  
**विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की  
उप-धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस**

सीकर खेत्री ट्रांसमिशन लिमिटेड, (पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की 100% पूर्णतः स्वामित्व वाली समनुषंगी), बी-9, कूतब इस्टीमेटेशन एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110 016 द्वारा निम्नलिखित घटकों को शामिल करते हुए निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अंतरण आधार (इसके बाद "परियोजना" के रूप में संदर्भित) पर "फेस-III भाग डी फेस I के अधीन राजस्थान (20 जीडब्ल्यू) में आरईजेड से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली" के लिए अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली स्थापित करने हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धाराओं 14 और 15 के अधीन आवेदन किया गया है:

क्रम सं.	पारेषण घटक का नाम	प्रभावी तारीख से मास में अनुसूचित सीओडी
1.	सीकर-II - खेत्री 765 केवी डी/सी लाइन	18
2.	सीकर-II - नरेला 765 केवी डी/सी लाइन के प्रत्येक छोर पर प्रत्येक सर्किट के लिए 240 एमवीएआर स्विचबल लाइन रिपेक्टर के साथ सीकर-II - नरेला 765 केवी डी/सी लाइन 765 केवी 240 एमवीएआर स्विचबल लाइन रिपेक्टर के लिए स्विचिंग इक्विपमेंट - 4 नंबर 240 एमवीएआर, 765 केवी स्विचबल लाइन रिपेक्टर - 4 नंबर	
3.	सीकर-II - खेत्री 765 केवी डी/सी लाइन और सीकर-II - नरेला 765 केवी डी/सी लाइन के लिए सीकर-II पर 765 केवी लाइन बे 765 केवी लाइन बे - 4 नंबर	
4.	खेत्री और नरेला एस/एस दोनों पर 765 केवी लाइन बे के 2 नंबर 765 केवी लाइन बे - 4 नंबर	

- नोट:**
- सीकर-II एस/एस का विकासकर्ता, स्विचबल लाइन रिपेक्टरों के दो नंबर के लिए स्थान के साथ सीकर-II एस/एस पर 765 केवी लाइन बे के 4 नंबर के लिए स्थान प्रदान करेगा।
  - नरेला एस/एस का विकासकर्ता, नरेला एस/एस पर स्विचबल लाइन रिपेक्टरों के लिए स्थान के साथ 765 केवी लाइन बे के 2 नंबर के लिए स्थान प्रदान करेगा।
  - पावर ग्रिड, खेत्री सबस्टेशन पर 765 केवी लाइन बे के दो नंबर के लिए स्थान प्रदान करेगा।
  - सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 19.3.2024 के अपने पत्र द्वारा प्रस्तावित पारेषण प्रणाली की स्थापना के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञापित प्रदान किए जाने हेतु संस्तुत किया है।
  - रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 114/टीएल/2024 में दिनांक 29.4.2024 के आवेदक द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोक्तलिखित पारेषण योजना की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञापित जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।
  - सीकर खेत्री ट्रांसमिशन लिमिटेड को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञापित प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट [www.powergrid.in/subsidiaries](http://www.powergrid.in/subsidiaries) पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा इसका निरीक्षण किया जा सकता है।
  - नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञापित प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक 17.5.2024 तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
  - आयोग द्वारा दिनांक 22.5.2024 को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

हस्ता/-  
(हरप्रीत सिंह पुथी)  
सचिव

**PROCLAMATION REQUIRING ATTENDANCE OF DEFENDANT (Order V, Rule 20 of The Code of Civil Procedure)**

**IN THE COURT OF SH. SANJAY SHARMA - II, DISTRICT JUDGE (COMMERCIAL COURT)- 11, ROOM NO. 310, TIS HAZARI COURT, DELHI**  
ICICI BANK LTD.  
VS  
DINESH KUMAR

CASE NO. CS (COMM)/1812/2020 To, DINESH KUMAR

S/O SH. GHEESA RAM RESIDENCE- CUM- OFFICE A. J. ENTERPRISES (PROPRIETOR) H. NO. A 23, BALBIR NAGAR, KIRARI SULEMAN NAGAR, NEAR FURNITURE MARKET, PANWARI WALI GALI, NORTHWEST DELHI- 110 086 M-9312353671 EMAIL ID- DINESHJI1720@GMAIL.COM

WHEREAS above named Plaintiff has instituted a suit related to commercial dispute against you and you are hereby summoned to file a written statement within 30 days of the service of the present summons. You shall also file an Affidavit of Admission denial of documents filed by the plaintiff along with Written Statement as per the provision of order 11 Rule 4 schedule of the Commercial Courts Act, 2015, and in case you fail to file the written statement properly verified as per order 6 Rule 15A along with affidavit of Admission and Denial within the prescribed period of 30 days, you shall give reasons in writing and thereupon you may be allowed to file written statement on such other day, as may be specified by the court, for reasons to be recorded in writing and on payment of such costs as the sts as the court deems fit, but which shall not be later than 120 days from the date of service of summons, if you failed to file the written statement within time fixed by the court, you shall forfeit the right to file the written statement and the court shall not allow the written statement to be taken on record.

You are required to appear in this court in person, or by a pleader duly instructed, and able to answer all material questions relating to suit, or who shall be accompanied by some person able to answer all such questions, on 21.05.2024 in the forenoon, to answer the claim; and further you are hereby directed to produce on the said day all documents in your possession or power upon which you base your defence or claim for set-off or counter-claim, and where you rely on any other document whether in your possession or power or not, as evidence in support of your defence or claim for set-off, or counter-claim you shall enter such documents in a list to be annexed to the written statement.

Take notice that, in default of your appearance on that day before mentioned, the suit will be heard and determined in your absence. Given under my hand and the seal of the Court, on this 29.04.2024.

District Judge (Commercial Court)- 11, Tis Hazari Court,

शुद्धीय-सहाय  
03-05-2024